राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प० ७(२)कार्मिक / क-2 / 15 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 22 | 5 | 2017-

1. अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

2. विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

मा० उच्यतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है :--

- "......Having regard to the above-mentioned facts and circumstances, we deem it appropriate to pass the following order:-
- (i) All the posts originally advertised shall be filled up strictly in accordance with law l.e. without applying the provisions of THE ACT.
- (ii) The State is at liberty to appoint the above-mentioned 1252 candidates belonging to the "special backward classes" to the various posts on a temporary basis by creating supernumerary posts in different categories, if so advised. However, any appointment so made shall not confer any right on such candidates for any appointment on permanent basis in the eventuality of the instant appeals being dismissed.
 - (III) The State must incorporate appropriate provision in the appointment orders to be issued to indicate the temporary nature of the appointment as indicated in paragraph (ii).
 - (iv) The State shall proceed to make appointments of the originally advertised posts in accordance with law without waiting for the disposal of the instant appeals."
- 2. माठ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में जिन भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके है व केवल नियुक्तियां दिया जाना शेष है, से संबंधित विशेष पिछड़ा वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों जिन्हें उक्त आदेश में 'एनेक्सर-2' के रूप में संलग्न किया गया है, को संबंधित पदों पर अस्थाई नियुक्ति दिये जाने हेतु कार्यवाही की जावें। मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के 'एनेक्सर-2' में विशेष पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नानुसार है :-

		Name	of the Post and	No. o		Total F	BC 28	Kei	narks
No	Name of	Depa	rtment		-		1		
	Institution		2 2			64	E -	AD	pdx-1
	organizing		Lecturer (School	1309	8	64	3		
	Exam	Scho	Ol LECCOLO.		1			1	1
	Rajasthan	Educ	ation) Competitive		1			1	
	Public	Exar	nination - Zura (sau				6 .	A	ppdx-2
	Service	Depi	competitive	990	0	·			
	Commission	RAS	combined Competitive	1		1			
		Exa	mination-2013 (DOP A-4/2)	1			34	A	ppdx-3
		1	Assountant/Tehsil	. 33!	51	(, ,	1	. 1
		Juni	Accountaint	1		1		1	}
3.	P.5	Rev						1	
	l l	Exa	mination	1		+	69		Appdx-4
	\	De	oartment) Combined		36		0.5	1	. 1
4.	1	Cle	rk Gr-11 mpetitive Examination-2013	3		1			
4.	1	Co	OP, AR and RPSC)		32	-	01		Appdx-5
				1	34	1	1		1
5.	Rajasthan	Su	cruitment Examination	. 1		1		1	1
J.	Subordinat	a Re	cruitment Examination Tomen and Child Department	:)			1	1	1
	and		Tomen and am	1		1			.)
	Ministerial	1		1				1.	1
	Service	1							41.6
	Selection	ł			231		11	- 1	Appdx-6
1	Board	-	unior Engineer (Civil) (Degre	e	231	1	1		
6.	~	1.0	older)			1	- [1	
		17	older) Water Resource Department)					Appdx-7
1		1 ?	Non TSP)		336		26	1	Appax-7
		-13	Non TSP) unior Engineer (Civil) (Diplor	na.	0.5		1	. 1	
1.	1	\ i	Holder)			1		1	
		1	Water Resource Department	-/	20				Appdx-8
1				-	158	5	78	1	Appar
			Chock Asstt, (Non 131)				C-r	4	
8.		1	(Animal Husbandry	1.					Appdx-9
1		1		pild	114	8	09	1	
9.			NTT Exam, 2013 (Women Cl				306		Appdx-10
١ ٧.	1		Development Department) 11Ird Grade Teacher Level Is	t	623	39	306		
10	Primary		(Non TSP) (Primary Education	ווט					2 × × 2
10.	Educatio	n					01		Appdx-11
	Departm	iont	Department) Junior Environmental Engin	eer	2	5	(U)		
TI		an	(Rajasthan State Pollution			. 1			
111	State		(Rajasthan State Foliation	1		1			
1	Pollutio	n	Control Board)			1			-
1	control						17)	Appdx-17
1	Board		AEN In Various Corporation		. 2	57	1 2	-	
17	FRANCY		under Energy Department	-		1			241
1 "	Corpor	stion		_			5.	1	Appdx-1
1	5		AEN (CIVII), Senior Draftsn	nan,	1	186	5.	•	
1	Local	Solf	AEN (CIVII), Sellior Bronzelli Fireman and Clerk Gr-II (L	ocal	1	1			
	Depart	mont	Self Department)		-	700	12	52	
1			Grand Total	-	35	714			

3. उपरोक्तानुसार विशेष पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने के लिए संबंधित विभाग में अधिसंख्य पद (supernumerary post) सृजित किये जाने, जिन पर नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई (temporary) आधार पर मानी जावेगी। इन अधिसंख्य पदों क सृजन हेतु कार्मिक विभाग ने वित विभाग से सैद्धान्तिक जावेगी। इन अधिसंख्य पदों क सृजन हेतु कार्मिक विभाग ने वित विभाग से सैद्धान्तिक सहमित प्राप्त कर ली है, जिसके आधार पर उक्तानुसार अस्थाई नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के विभाग कर ली है, जिसके आधार पर उक्तानुसार अस्थाई नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के विभाग करें। इस प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात इन अधिसंख्य पदों के की कार्यवाई करें। इस प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात इन अधिसंख्य पदों के स्थलन के सम्बन्ध में प्रत्येक विभाग वित विभाग से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करें। साथ ही

1-16

संबंधित नियुक्ति अधिकारी / प्राधिकारी नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से अंकन करें कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई (temporary) आधार पर रहेगी व नियुक्त अभ्यर्थी संबंधित पद पर रथाईकरण (confirmation) का अधिकारी नहीं होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट अंकन करे कि विशेष पिछड़ा वर्ग की उक्त नियुक्तियां मा० सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन सिविल अपील संख्या 1464-1466 / 2017 के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

4. उक्त आदेश की अनुपालना में यह स्पष्ट किया जाता है कि कुल विज्ञापित पदों पर विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं किया जावें तथा मूल रूप से कुल विज्ञापित पदों के 51 प्रतिशत पद अनारक्षित श्रेणी (Open Category) से तथा शेष 49 प्रतिशत पद निम्नानुसार लम्बवत (vertical) आरक्षण से भरे जायें -

18 प्रतिशत अनुसूचित जातियां 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां 21 प्रतिशत पिछडे वर्ग 49 प्रतिशत कुल योग

- 5. इस हेतु विभाग संशोधित परिणाम जारी करने हेतु कार्यवाही करें। संशोधित परिणाम तैयार करने हेतु विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ11 (166)DDBC (R&P) SJED/2016/26508 दिनांक 19.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में माना जावें। इस प्रकार तैयार किये गये संशोधित परिणाम में यह संभव है कि उपरोक्त विशेष पिछड़ा वर्ग के चयनित 1252 अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थी अनारक्षित अथवा पिछड़ा वर्ग में चयनित हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अनारक्षित अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में पद रिक्त रखे जावें चूंकि अमुच्छेद 3 में दिये निर्देशानुसार इन्हें अधिसंख्य पद सृजित करते हुए अस्थाई नियुक्ति दी
 - 6. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में होने वाली भर्तियों में राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान अग्रिम आदेशों तक लागू नहीं होंगे।
 - 7. अतः संबंधित नियुक्ति अधिकारियों / प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आजा से

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1. सचिव, मा० राज्यपाल, राजरथान, जयपुर।
- 2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4. वरिष्ट उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान। अ. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
 - 6. रक्षित पत्रावली।

22/5/2017 संयुक्त शासन सचिव